(वाद सं0– 291/4/32/2022)

12.01.2023

परिवादी निशा देवी, अपने पिता परमात्मा महतो, के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के पति, स्व0 दीपक कुमार महतो, जो Bharat Financial Inclusion Ltd., वैशाली, हाजीपुर शाखा में कार्यरत्त थें, के दिनांक–28.07.2017 को कार्य के दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये जाने के बाद उसके अनुग्रह अनुदान–सह–मृत्यु दावा के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर राज्य आयोग द्वारा **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **प्रभारी पदाधिकारी (बैकिंग), पटना** का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के परिवाद पत्र पर **क्षेत्रीय प्रबंधक, Bharat Financial Inclusion Ltd.** से प्रतिवेदन की मांग की गई। उनकी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित कंपनी में परिवादी के पति के **व्यक्तिगत अभिलेख** के अनुसार मृतक ने Accidental–Cum-Death Benefit हेतु अपने माता और पिता को नामित कर रखा था, जबकि उपादान (Gratuity) के भुगतान के संबंध में उसने अपने माता, पिता व पत्नी को नामित किया था। मृतक के उपरोक्त नामांकन की एक प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। अपने प्रतिवेदन में क्षेत्रीय प्रबंधक, Bharat Financial Inclusion Ltd. द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कंपनी के पॉलिसी के अनुसार परिवादी के पति की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारवालों (आश्रितों) को Accidental–Cum-Death Benefit के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात समर्पित करने हेतु लिखित रूप से सूचना दी गयी, लेकिन मृतक के माता, पिता एवं पत्नी के बीच उक्त के संबंध में विवाद रहने के कारण अबतक वांछित कागजात कंपनी को उपलब्ध

नहीं कराया जा सका है। कंपनी का यह भी कथन है कि अब जबकि परिवादी के पति के Death Benefit Claim के भुगतान के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के पति के Death Benefit Claim के भुगतान हेतु **Succession Certificate तथा Settlement Notarized Affidavit** दाखिल करने हेतु मृतक के परिवारवालों को निर्देश दिया गया है लेकिन अबतक उनकी ओर से उपरोक्त कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दे सकें।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के पति की मृत्यु के उपरान्त उसके Death Benefit Claim व उपादान (Gratuity) के भुगतान के संबंध में उसके परिवारवालों के बीच विवाद है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में उक्त के संबंध में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर Succession Certificate प्राप्त कर संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराये जिससे कि कंपनी द्वारा उसके पति के मृत्यु के उपरान्त उसके Death Benefit Claim व उपादान (Gratuity) का भुगतान किया जा सके।

जहां तक परिवादी के न्यायाल से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता का प्रश्न है परिवादी को इस संबंध में सक्षम जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क स्थापित कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ **जिला पदाधिकारी, पटना** के प्रतिवेदन (पृष्ठ 49–47/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक